## No.11030/64/87-AIS(II) Covernment of India Ministry of Personnel, P.G. and Pensions Department of Personnel and Training

New Delhi, the 16 October, 1987.

OT

The Chief Secretaries to the Covernments of All States.

Subject: - IAS (Pay) Rules, 1954 - Appointment of officers of 1979 batch to the Selection Grade in the IAS.

Sir,

I am directed to invite reference to this Deptt.'s letter

No.11030/22/87-AIS(II), dated the 31st March, 1987 on the subject cited above and to say that according to the instructions contained therein an officer whose year of allotment is 1974 shall be eligible for appointment to the Selection Grade on or after 1st July, 1987. It has been observed that in some States officers of All India Services of 1974 batch were appointed to the Selection Grade with effect from 1.1.1987 before the issue of the above mentioned instructions dated the 31st March, 1987 whereas their counter-parts in other States have been appointed to the Selection Grade from 1.7.1987 onwards.

2. It is fertuitous that in some States, the officers of AIS got the Selection Grace before the issue of the instructions of 31.3.1987. While the instructions of 31.3.1987 will not adversely affect the officers so promoted prior to 31.3.1987, in view of para 6 thereof, officers promoted to Selection Grade after 1.7.87 should not get less empluments in the Selection Grade than their counterparts in the other States. In order to bring in equity amongst the officers of the same batch, it has been decided that the period spent in Selection grade upto 1.7.87 shall not count for increments and the next increment in the case of officers promoted to Selection Grade prior to 31.3.1987 shall also accrue on 1.7.88 to bring in conformity with the officers of the same batch in the other States.

Yours faithfully,

(V.R. SRINIVASAN)

(V.R. SRINIVASAN)
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

No.11030/64/87-AIS(II)

New Delhi, the

16 October, 1987.

Copy forwarded to:-

1. All Ministries/Deptts. of the Covt. of India.

2. MHA (IPS) Section.

3. MHA (UTS Section).

4. Deptt. of Forests & Wildlife, (IFS Section).

(V.R. SRINIVASAN)

DEPUTY SECRETARY TO THE GOVI. OF INDIA.

## लेखा । 1030/64/87-अ०भागते० हैं।। हैं भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय हैंकार्मिक और प्रशिक्षण विभागहें

नई दिल्ली, दिनांक 6 अक्तूबर, 1987

सेवा में, सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।

विषय: - भारतीय प्रशासिक सेवा १वेतन१ नियमावली, 1954- भारतीय प्रशासिक सेवा के वर्ष 1970 बैच के अधिकारियों की चयन ग्रेड में नियंकित ।

महोदय,
मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 31 मार्च, 1987 के पत्र
संख्या 11030/22/87-अ0भाठमें 0 हैं।। हैं की और ध्यान आकृष्ट करते हुए यह
संख्या 11030/22/87-अ0भाठमें 0 हैं।। हैं की और ध्यान आकृष्ट करते हुए यह
संख्या 11030/22/87-अ0भाठमें 0 हैं। हैं की और ध्यान आकृष्ट करते हुए यह
कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, ऐसे
कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में दिए गए अनुदेशों के नियुक्त के विद्या गया है
पात्रता पहली जुलाई 1987 को अध्वा उसके बाद होगी। यह देखा गया है
पात्रता पहली जुलाई 1987 के अनुदेशों के जारी होने से पहले ही,
उपर्युक्त दिनांक 31 नार्च 1987 के अनुदेशों के जारी होने से पहले ही,
उपर्युक्त दिनांक 31 नार्च 1987 के अनुदेशों के जारी होने से पहले ही,
उनके ही सहयोगियों को 1-7-1987 तथा उसके बाद से चयन ग्रेडे में नियुक्त
किया गया है।

2. यह आकि स्मिक ही ज़तीत होता है कि कुछ राज्यों में 31-3-87 के अनुदेशों के जारी होने से पहले ही, अख्ति भारतीय सेवा के अध्कारियां ने क्यम ग्रेड प्राप्त कर लिया था, जबिक 31-3-87 के अनुदेशों का, 31-3-87 से पहले इस प्रकार पदीन्त किए गए अध्कारियों पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी उन्हीं अनुदेशों के पेता 6 को ध्यान में रख्ते हुए, 1-7-87 के बाद वयन ग्रेड में पदीन्त्रत किए गए अधिकारियों को, दूसरे राज्यों में नियुक्त किए गए उनके सहयोगियों की तुलना में चयन ग्रेड में कम परिल्बिध्यां में नियुक्त किए गए उनके सहयोगियों की तुलना में चयन ग्रेड में कम परिल्बिध्यां प्राप्त नहीं होनी चाहिए। एक ही अब के अधिकारियों के बीच समानता लाए जाने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि दिनाक 1-7-87 तक चयन ग्रेड में ज्यतीत की गई अविध को वेतन वृद्धि है लिए नहीं गिना जाएगा और 31-3-87 से पहले चयन ग्रेड में पदोन्त्रत किए गए अधिकारियों के मामले में, उनकी अगली वेतन वृद्धि।-7-87 को ही देय होगी, जिससे कि उन्हें स्मानते में एक ही बैच हे अधिकारियों के बीच समानता लायी जा सके। दूसरे राज्यों में एक ही बैच हे अधिकारियों के बीच समानता लायी जा सके।

१व ० और ० श्री निवासन्। उप स्वव भारत सरकार